

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्ड कोटकासिम अलवर

अनवान धर्मवीर बनाम राज्यकाशी
 किस्म मुकदमा 212 रिवाज मु0नं0 08 सन् 2021

तारीख हुक्म हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

5.01.2021

प्रार्थी मय वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी.एक्ट के तहत पेश किया। बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं सलंगन दस्तावेजात के अवलोकन व शपथ पत्र प्रार्थी से सन्तुष्ट होकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण को आगामी पेशी दिनांक 09.02.2021 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आ0ख0नं0 213/1.2771 है0 वाके ग्राम कायमपुर जोखावास तह0 कोटकासिम जिला अलवर की मौका की यथास्थिति कायम रखे, इसमे बने रास्ते को यथावत रखे। जो भी उज्र हो तो असालतन वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 09.02.2021 को पेश हो।

क

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम

22/1
21

प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पेश हुई।
 प्रार्थी से प्रार्थना पत्र पेश कर अपना वाद
 रखा कि वह लिपि है। इलजिक प्रार्थना
 नं. 212 R.T. Act. में रखा कि लिपि जाता।
 प्रार्थना पत्र में सुनार होकर गमबर है
 का है कि वह वाद न्यायिक संलग्न वाद है।

क

Ed key

Churpi
dec

क
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

